न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 612 / 2013</u> संस्थन दिनांक 09.10.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

विरुद्व

मांगीलाल पिता नूरा, आयु 26 वर्ष, निवासी—ग्राम कुण्डिया, तहसील ठीकरी, जिला—बड़वानी म.प्र.

––––अभियुक्त

<u>/ / निर्णय / /</u>

(आज दिनांक 30.03.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 175/2013 अंतर्गत 294, 323, 324, 452, 506 भा.द.सं. में दिनांक 09.10.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त मांगीलाल के विरूद्ध दिनांक 17.08.2013 को समय सायं लगभग 5:00 बजे, ग्राम कुण्डिया में फरियादी के मकान में फरियादी भूरीबाई के मकान में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा अथवा मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में फरियादी भूरीबाई को उपहित कारित करने के आशय से तैयारी कर प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित करने तथा आहत मेहकाल को कुल्हाड़ी से मारकर उसे स्वैच्छया उपहित कारित करने के संबंध में धारा 452, 324 भा.द.ंस. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 13.11.2014 को फरियादी भूरीबाई एवं मेहकाल व अभियुक्त मांगीलाल के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी भूरीबाई व मेहकाल के संबंध में अभियुक्त मांगीलाल के विरूद्ध धारा 452, 324 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि साक्षीगण अभियुक्त को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 3. 17.08.2013 को फरियादिया भूरीबाई जब उसके खेत से सायं 5:00 बजे घर वापस आई तो उसका देवर मांगीलाल कुल्हाड़ी लेकर आया तथा फरियादिया को अश्लील गॉलिया देने लगा, जिससे वह बच्चों को लेकर घर में चली गई, तब अभियुक्त मांगीलाल कुल्हाड़ी लेकर फरियादिया को मारने घर में घुसा तथा उसके साथ झुमा-झटकी करते हुए दो-तीन थप्पड़ मारे। फरियादिया के चिल्लाने पर मेहकाल बीच-बचाव करने आया तब अभियुक्त मांगीलाल ने कुल्हाड़ी से मेहकाल को मारा, जिससे मेहकाल के बायें हाथ पर चोंट आकर रक्त निकलने लगा। अभियुक्त मांगीलाल ने फरियादिया भूरीबाई व मेहकाल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने फरियादिया भूरीबाई द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त मांगीलाल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 175 / 2013 अंतर्गत धारा 452, 294, 323, 324, 506 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग–पत्र अंतर्गत धारा 452, 294, 323, 324, 506 भा.द.सं. के न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 452, 294, 323, 324, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।
- 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.08.2013 को समय सायं लगभग 5:00 बजे, ग्राम कुण्डिया में फरियादी के मकान में फरियादी भूरीबाई के मकान में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा अथवा मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में फरियादी भूरीबाई को उपहित कारित करने के आशय से तैयारी कर प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?
 - 2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत मेहकाल को कुल्हाड़ी से मारकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी भूरीबाई (अ.सा.1), मेहकाल (अ.सा.2) व प्रधान आरक्षक आशीष पण्डित (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 के संबंध में

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फिरयादी भूरीबाई अ.सा.1 का कथन है कि अभियुक्त ने 1 वर्ष पूर्व उसके साथ विवाद एवं मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना ठीकरी पर लेखबद्ध कराई थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में घर के अंदर घुसकर कुल्हाडी से मारपीट करने की बात लिखाना नहीं बनाया है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट तथा पुलिस कथन प्रदर्शपी 2 में अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारने की बात नहीं बताई थी। पुलिस ने कैसे लिख ली वह नहीं बता सकती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रही है।
- 8. मेहकाल अ.सा. 2 ने भी उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घर के बाहर उसके साथ लकड़ी से मारपीट करना बताया है। इस साक्षी को भी पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 के कथन में अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट करने की बात बताने से स्पष्ट इंकार किया है। इस साक्षी ने भी स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा किया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन कर रहा है।
- 9. प्रधान आरक्षक आशीष पण्डित अ.सा.3 का कथन है कि दिनांक 17.08.13 को थाना ठीकरी में फरियादी भूरीबाई ने अभियुक्त के विरूद्ध घर के अंदर घुसकर कुल्हाड़ी से मेहकाल के साथ मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उसने अपराध क्रमांक 175/13 प्रदर्शपी 1 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा फरियादी ने उसके सामने प्रदर्शपी 1 पर अंगूठा निशानी किया था। साक्षी का यह भी कथन है कि भूरीबाई एवं मेहकाल को चोंट आने से उन्हें चिकित्सा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीकरी भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी पढ़ी—लिख नहीं हैं।

- 10. ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के फरियादी भुरीबाई एंव आहत स्वयं ने राजीनामा होने के कारण फरियादी भूरीबाई तथा आहत मेहकाल ने अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर मेहकाल को कुल्हाड़ी से मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है तो अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.स. के विरूद्ध 452, 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं और उन्हें उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।
- 11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त मांगीलाल के विरूद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय दोनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त मांगीलाल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 452, 324 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी